भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय -नई दिल्ली
NORTHERN REGIONAL OFFICE –NEW DELHI

दिनाँक : 26.05.2017 **SEBI/NRO/PR/1/2017-18**

जैसा यह विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुशार माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री. आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है जोकि माननीय उच्चतम न्यायलय की निगरानी में पी. ए. सी. एल कंपनी के निवेशकों को पैसा वापिस दिलाने के लिए कार्यरत है।

इस संबंध में सेबी द्वारा इस प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि:

1. उपरोक्त कमेटी पी.ए. सी. एल की संपतियों को बेचने के लिए प्रयासरत है एवं इससे संबधित जानकारी सेबी की वैबसाइट www.sebi.gov.in/PACL.html पर उपलब्ध है।

2. निवेशकों को उपरोक्त कमेटी की कार्यवाही की सूचना सार्वजनिक नोटिसों, प्रैस विज्ञप्ति एवं सेबी की वैबसाइट (www.sebi.gov.in/PACL.html) द्वारा समय समय पर उपलब्ध करायी जाती रही है एवं आगे भी कराई जाएगी।

3. जब तक किसी भी प्रकार की सूचना उपरोक्त कमेटी /सेबी द्वारा जारी न की जाए, तब तक निवेशक अपने सभी मूल दस्तावेज़ अपने पास ही रखें और किसी भी स्थिति में अन्य किसी को न दें ।

4. उपरोक्त धन वापसी (रिफ़ंड) की प्रक्रिया के सम्बंध में बिचोलियों (agents) /पी॰ए॰ सी॰ एल॰/ अन्य किसी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से भ्रमित न हों; केवल उपरोक्त कमेटी/ सेबी द्वारा जारी सूचना पर ही विश्वास करें, जो कि सार्वजनिक नोटिसों, प्रैस विज्ञप्ति, सेबी की वैबसाइट (www.sebi.gov.in/PACL.html) द्वारा समय समय पर उपलब्ध करायी जाएगी।

****